कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

कार्यालय आदेश क्रमांक-स्टेनो/2026/22 दिनांक- 05.11.2026

कार्यालय आदेश

मैं, मीनाक्षी तिवाड़ी, आरजेएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-13(2) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व के कार्यालय आदेश क्रमांक स्टेनो/2026/21 दिनांक 30.09.2026 के द्वारा दिनांक 09.11.2026 एवं दिनांक 12.11.2026 को श्री पंकज तिवाड़ी, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, बीकानेर तथा दिनांक 10.11.2026 एवं दिनांक 11.11.2026 को श्री डेनिश, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, बीकानेर की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई थी, जिस संबंध में अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, बीकानेर के पत्रांक स्टेनो/2026/122 दिनांक 05.11.2026 में वर्णित कारणों से आपसी सहमति के आधार पर आदेश क्रमांक स्टेनो/2026/21 दिनांक 30.09.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त दिनांक की उक्त अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाती है एवं निम्नांकित शासकीय अवकाश में बीकानेर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करती हू जो कि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के परिपत्र संख्या स्था/2026/279 दिनांकित 01.09.2026 के अनुसार अपने अपने न्यायालय में प्रात: 11.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवश राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वही अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान आने वाले इन्क्येस्ट व मृत्युकालीन बयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किए जायेंगे, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

अवकाश दिवस जिसमें पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे	पीठासीन अधिकारी का नाम	पीठासीन अधिकारी के मोबाईल नम्बर	न्यायालय का नाम जिसके पीठासीन अधिकारी अवकाश दिवस में कार्य करेंगे।
09, 10 नवम्बर, 2026	श्री डेनिश	9672720001	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर
11, 12 नवम्बर, 2026	श्री पंकज तिवाड़ी	8949152261	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 बीकानेर

नोट:-(1) उक्त राजकीय अवकाशों के दिन तालुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।

(2) रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बीकानेर न्यायक्षेत्र की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

05/11

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।

पत्र प्रेषण क्रमांक:-स्टेनो/2026/1092 दिनांक:- 05.11.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ।

2 श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।

3 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 बीकानेर

4 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर

5 कार्यालय उपनिदेशक अभियोजन विभाग, बीकानेर

6 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बीकानेर।

7 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने व उपरोक्त को जरिये ई-मेल प्रेषित करने हेतु।

05/11

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।